4

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 331 / नियोजन अनुभाग / 2019 दिनांक 05-9-19

मुख्य अभियन्ता

विषयः प्रताप विहार आवासीय योजना मे प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत निर्मित होने वाले ई.डब्लू.एस. आवासो का डी.पी.आर. तैयार कराये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रताप विहार आवासीय योजना मे प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत निर्मित होने वाले ई.डब्लू.एस. आवासो की डी.पी.आर./ले–आउट पूर्व मे चयनित कन्सलटेन्ट दीपक मेहता एण्ड एसोसिएट के माध्यम से तैयार कराया गया था, जिसमें जी+12 के ब्लाक्स प्रस्तावित किये गये थे। प्रस्तावित ब्लाक्स की मेन्टीनेन्स को दृष्टिगत रखते हुए उच्च स्तर पर प्रस्तावित योजना मे जी+12 के स्थान पर जी+3 का प्रस्ताव किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के दृष्टिगत नियोजन अनुभाग द्वारा प्रश्नगत स्थल पर पूर्व मे प्रस्तावित जी+12 ब्लाक्स के स्थान पर जी+3 का प्रस्ताव करते हुए ले–आउट प्लान तैयार किया गया है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 04.09.19 को प्रदान की जा चुकी है। अनुमोदित तलपट मानचित्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर डी.पी.आर. तैयार किये जाने हेतु आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया सम्बंधित भवनो की डी.पी.आर. तैयार कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(आशीष शिवपुरी)
मुख्य नगर नियोजक

पृष्ठांकन संः 331 **/नियो0अनु0/2019** **दिनांक** 05-9-19

प्रतिलिपिः 1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ।

मुख्य नगर नियोजक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्रांक : 45 /4/ई0ई0जोन–4/2024 दिनांकः 28.3.24

सेवा में,

तकनीकी सलाहकार,
उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद,
लखनऊ–226007

विषय–उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ0प्र0 रेरा) में परियोजना Construction of 480 EWS (G+3) Houses under PMAY Scheme at Pratap Vihar Scheme ghaziabad जनपद Ghaziabad के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उपर्युक्त परियोजना के पंजीकरण का कार्य उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में प्रक्रियाधीन है, जिसमें तलपट मानचित्र की स्वीकृति एवं वैधता अवधि की जानकारी चाही गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में पत्रांक 331/नियो0अनु0/19 दिनांक 05.09.2019 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु जी+3 ब्लॉक्स् के ले–आउट प्लान की स्वीकृत प्रतिलिपि अपलोड की गयी है, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 04.09.2019 को प्रदान की गयी है। भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार मानचित्र की वैधता विस्तारण सहित 8 वर्ष की होती है। तदनुसार स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि दिनांक 04.09.2027 तक है।

28/03/24

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण